25/11/25

उभय पक्ष उप. बहस सुनी गयी बाद वादपत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

BV

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2016/00176

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास : बी.जे.मीणा (आई.ए.एस.)

वाद संख्या: 151 / 2016
GCMS:- 2016 / 00176
अनवान

1. लक्ष्मणराम ——। गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासीयान ग्राम मानेवाला तहसील
2. कृष्णलाल ——। सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........वादीगण

बनाम

1. शीलाबाई पुत्री श्री गुलाबाराम पत्नी राज पुत्र जयचन्द जाति कम्बोज निवासी कानपुर की ढाणी वी.पी.ओ. टालीवाला बोदला तहसील हरणीयावाला जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. उत्तमचन्द ——। पुत्रगण गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासीयान ग्राम मानेवाला
3. हरबंश कुमार ——। तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रबन्धक,ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

..........प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अर्न्तगत धारा– 88,209 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थितीः–

1. श्री बी.एल.चाण्डक एडवोकेट वादीगण
2. प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरुध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पेरोकारराज उपस्थित।
4. श्री श्याम चुघ एडवोकेट प्रतिवादी नं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निर्णय   दिंनाकः 25.11.2025

उक्त अनवान का वाद–पत्र वादीगण के द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 06/07/2016 को प्रस्तुत किया गया। वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं0 1 को रजिस्टर्ड सम्मन से व अन्य को साधारण सम्मन से तलब करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 18/04/2017 को वादी के वकील उपस्थित हुए। पैरोकार राज उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 2 व 3 को सम्मन प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं0 1 को रजिस्टर्ड सम्मन दिनांक 18/07/2016 की रसीद व नोटिस की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बावजुद सूचना असालतन वकालतन हाजिर नहीं आने पर इनके विरुध एक पक्षिय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से श्री श्याम चुध एडवोकेट उपस्थित हुए। दिनांक 12/09/2018 को जवाब दावा प्रतिवादी सं. 4 व 5 के द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावा बन्द किये जाने के आदेश दिये गये। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 24/10/2018 को पेश करने के आदेश दिए गये।

वादीगण ने अपने वाद–पत्र की पुष्टि मे दिनांक 06/03/2019 को साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यु.– 1 व पी.डब्ल्यु– 2 क्रमशः लक्ष्मणराम पुत्र गुलाबाराम व कृष्णलाल पुत्र गुलाबाराम के शपथ–पत्र बयान प्रस्तुत किये। दिनांक 15/04/2019 को वादीगण ने गवाह राजकुमार व गोमाराम के शपथ–पत्र बयान पेश किये। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते जिरह साक्षीगण के लिये नियत की गई। प्रतिवादीगण को वादीगण के साक्ष्यों से जिरह करने के पर्याप्त अवसर भी दिये गये परन्तु वादीगण के गवाहान से प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने पर दिनांक 14/11/2019 को जिरह बन्द किए जाने के आदेश पारित किये गये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत कि गई। प्रतिवादीगण को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू पर्याप्त अवसर न्यायालय ने दिये। परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं करने पर दिनांक 04/09/2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/10/2020 को निश्चित की गई।

दिनांक 16/10/2020 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की तरफ से श्री दलवीरसिहं एडवोकेट ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र आदेश– 9, नियम– 7 सी.पी.सी. का पेश किया [illegible]ना–पत्र का जवाब वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा दिनांक 10/03/2021 को पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र दिनांक 17/03/2021 की निश्चित की गई। दिनांक 06/04/2021 को वकील प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अनुपस्थित रहें। प्रार्थना–पत्र आदेश– 9 नियम– 7 सी.पी.सी. का निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 06/04/2021 को प्रतिवादी सं0 1 शीलाबाई ने एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का काफी अवसर न्यायालय द्वारा दिये जाने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 19/05/2022 साक्ष्य बन्द किये जाने के आदेश देकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु निश्चित की गई। पत्रावली पर अन्तिम बहस दिनांक को सुनी गई। पत्रावली पर प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली पर वादीगण की बहस सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

संक्षिप्त में वाद–पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता गुलाबाराम पुत्र सुहाबाराम जाति कम्बोज के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 5 एफ डी एम(बी) मे प.न. 95/337(26) के किला नं0 1 ता 25 में 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। वादीगण ने अपने इस कथन की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबंदी चक 5 एफ डी एम (बी) सम्वतः 2070–2073 वाद–पत्र के साथ पेश की है। वादीगण के पिता गुलाबाराम पुत्र श्री सुहाबाराम ने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 23/08/2005 को निष्पादित करते हुए चक 5 एफ डी एम (बी) मे स्थित प.नं. 95/337 के किला नं0 1 ता 25 की 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि अपने चार पुत्र क्रमशः लक्ष्मणराम–कृष्णलाल उत्तमचन्द व हरबंश कुमार तथा अपनी पत्नी पेडोबाई के पक्ष में की हुई थी। उक्त दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 23/08/2005 की प्रमाणित नकल वाद–पत्र के साथ सलंग्न है।

गुलाबाराम का स्वर्गवास दिनांक 20/10/2005 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो–प्रति वाद–पत्र के साथ सलंग्न है।

गुलाबाराम की मृत्यु के पश्चात उसके नाम का स्वअर्जित रकबा उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज वसीयतनामा के मुताबिक नामान्तकरण सं0 170 तस्दिक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी हो चुका है। नामान्तकरण सं0 170 की प्रमाणित नकल वाद–पत्र के साथ सलंग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मृतक गुलाबाराम ने दस्तावेज वसीयतनामा निष्पादित करते समय यह स्पष्ट अंकित करवा दिया था कि उसकी पत्नी पेडाबाई की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की भूमि के वारीस एंव मालिक उसके केवल चार पुत्र (वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 व 3) ही होंगे। अन्य कोई सहीम व शरीक पैदा होकर दावेदार होगा तो उसका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

वादीगण की माता पेडोबाई पत्नी गुलाबाराम का स्वर्गवास दिनांक 18/02/2008 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाण–पत्र की फोटो–प्रति वादपत्र के साथ सलंग्न है।

वादीगण की माता पेडोबाई की मृत्यु के पश्चात मुताबिक दस्तावेज वसीयतनामा दिंनाक 23/08/2005 से मृतक पेडोबाई के हिस्से की भूमि के मालिक उसके केवल चार पुत्र अर्थात वादीगण व प्रतिवादी नं0 2 व 3 ही है। अन्य किसी को भी हक व हिस्सा भूमि हासील नहीं है। दस्तावेज वसीयतनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेजहै। जो आज भी प्रभावी हैं। इस वसीयतनामा की पालना पुर्व में राजस्व अधिकारी द्वारा की जा चुकी है।

किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पेडोबाई की मृत्यु के पश्चात जो विरासतन नामान्तकरण सं0 173 दि. 07/10/2014 प्रतिवादी नं0 1 को शामिल करते हुए दर्ज किया गया है वह स्पष्टतः एक अवैध एंव गल्त इन्द्राज हुआ है अर्थात रजिस्टर्ड वसीयतनामा के विपरीत जाकर किया हुआ इन्द्राज है जो कलमजन किये जाने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में गल्त रूप से दर्ज किया हुआ होने के कारण कलमजन किये जाने योग्य है। वादीगण, प्रतिवादी नं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में 0.253 है0 रकबा उसके नाम से निरस्त कराके वह रकबा वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से बहिस्सा बराबर अंकन किये जाने की घोषणा स्वीकार कराने के हकदार है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरुध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। वादीगण की बहस सुनी गई। राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों को भी देखा गया। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चक 5 एफ.डी.एम.'बी' के खाता संख्या– 15/13 के प0न0 95/337 में रकबा 6.325 है0 खातेदारी कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

से प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन किया जाता है तथा प्रतिवादी नं0 1 के नाम से 0.253 है. रकबा जो जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है वह रकबा (0. 253 है0) वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज किये जाने की घोषणा स्वीकार की जाती हैं। इसी अमर की डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.25 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 15:43:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

[आदेश–21 रूल–6,7 जाब्ता दीवानी]

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास : बी.जे.मीणा (आई.ए.एस.)

वाद संख्या: 151/2016

अनवान

1. लक्ष्मणराम ––। गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासीयान ग्राम मानेवाला तहसील
2. कृष्णलाल ––। सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

..........वादीगण

बनाम

1. शीलाबाई पुत्री श्री गुलाबाराम पत्नी राज पुत्र जयचन्द जाति कम्बोज निवासी कानपुर की ढ़ाणी वी.पी.ओ. टालीवाला बोदला तहसील हरणीयावाला जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. उत्तमचन्द ––। पुत्रगण गुलाबाराम जाति कम्बोज निवासीयान ग्राम मानेवाला
3. हरबंश कुमार ––। तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. प्रबन्धक,ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा निरवाणा तहसील सूरतगढ़।

..........प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद–पत्र अर्न्तगत धारा– 88,209 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इंफिसाल कितई रूबरू सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ व हाजिरी श्री बी.एल.चाण्डक वकील वादीगण एंव श्री श्याम चुघ वकील प्रतिवादी नं0 5 व पेरोकारराज उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार कर जरिए डिक्री आदेश किया जाता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड वाके चक 5 एफ.डी.एम.'बी' के खाता संख्या– 15/13 के प0नं0 [illegible] है0 खातेदारी कृषि भूमि से प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन किया [illegible] प्रतिवादी नं0 1 के नाम से 0.253 है. रकबा जो जमाबन्दी में [illegible] वह रकबा (0.253 है0) वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के [illegible] की घोषणा स्वीकार की जाती हैं। इस अहकाम की डिक्री जारी की [illegible] है।

यह डिक्री न्यायालय की मोहर एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिंनाक 25.11.25 को जारी की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.12.01 16:43:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,सूरतगढ़